रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2000/ज्येष्ठ 15, 1922

No. 117] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2000/JYAISTHA 15, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2000

विषय : रूस, चीन और ईरान मूल के अथवा वहां से निर्यातित फैरो सिलिकोन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 28/1/2000-डी जी ए डी.—मैसर्स इंडियन मैटल्स एंड फैरो एलॉय लि., भुवनेश्वर, मैसर्स नवभारत फैरो एलॉय लि., हैदराबाद और मैसर्स वी बी सी फैरो एलॉय लि., हैदराबाद ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें रूस, चीन और ईरान मूल के या वहां से निर्यातित फैरो एलॉय के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पादः** वर्तमान मामले में जांच के अधीन उत्पाद रूस,चीन और ईरान मूल का अथवा वहां से निर्यातित फैरो सिलिकोन है । फैरो सिलिकोन लौह तथा सिलिकोन का एक मिश्र धातु है जिसमें अपद्रव्यों के रूप में कैल्सियम, एल्यूमिनियम, कार्बन इत्यादि शामिल हैं । फैरो सिलिकोन में सिलिकोन का प्रमुख अनुपात है । इसे मुख्यतः इस्पात और इस्पात मिश्र धातु के उत्पादन में डिआक्सिडाईजर के रूप में उपयोग किया जाता है ।

फैरो सिलिकोन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय-72 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं0 7202.21 और 7202.2100 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र में किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

2. **घरेलू उद्योग की हैसियतः** याचिकाकर्त्ता ने बताया है कि भारत में फैरो सिलिकोन का उत्पादन करने वाली निम्नलिखित कंपनियां हैं-

क) मैसर्स इंडियन मैटल्स एंड फैरो एलॉय लि0,
ख) मैसर्स नव भारत फैरो एलॉय लि0,
ग) मैसर्स वी बी सी फैरो एलॉय लि0
घ) मैसर्स आलोक फैरो एलॉय लि0
ड.) मैसर्स नव क्रोम लि0

च) मैसर्स इस्पात एलॉय लि0
छ) मैसर्स जी एम आर वासवी इंडस्ट्रीज,
ज) मैसर्स इंडसिल इलैक्ट्रोस्मैल्ट्स लि0
झ) दि सिलकल मैटालर्जिक लि0
ञ) दि ट्रौवनकोर इलैक्ट्रो कैम,
ट) संदूर मैगनिज एंड आयरन ओर्स,
ठ) विश्वैश्वरैया आइरन एंड स्टील कं. लि0
ड) यूनिवर्सल फैरो एलॉय कैम,

मैसर्स इंडियन मैटल्स लि0, भुवनेश्वर, मैसर्स नव भारत फैरो एलॉय लि0, हैदराबाद और मैसर्स वी बी सी फैरो एलॉय लि0, हैदराबाद ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है और इन्हें इसके बाद याचिकाकर्त्ता कहा गया है । मैसर्स इंडासिल इलैक्ट्रोस्मैल्टस लि0, कोयम्बटूर ने इस याचिका का समर्थन किया है । याचिकाकर्त्ताओं का कुल घरेलू उत्पादन में 63 प्रतिशत हिस्सा बनता है और इसलिए, वर्तमान याचिका दायर करने की शर्तों को पूरा करते हैं ।

3. **संबंधित देशः** वर्तमान जांच में शामिल देश रूस,चीन जनवादी गणराज्य और ईरान हैं (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) ।

4. **समान वस्तुएं** याचिकाकर्त्ता का कहना है कि उसके द्वारा उत्पादित माल, रूस, चीन और ईरान मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तुएं हैं । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित माल को नियमों के अर्थो के भीतर संबद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तुएं माना जा रहा है ।

5. **पाटन एवं पाटन मार्जिन**

सामान्य मूल्यः याचिकाकर्त्ता ने फैरो सिलिकोन के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर रूस, चीन और ईरान में सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

निर्यात कीमतः याचिकाकर्त्ताओं ने गौण स्रोतों द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है । सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है ।

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि रूस,चीन और ईरान में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि रूस,चीन और ईरान से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है ।

6. **क्षति एवं कारणात्मक संबंधः** घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मानदंड जैसे उत्पादन,बिक्री,लाभ/हानि इत्यादि समग्र तथा संचयी रूप से यह दर्शातें हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पादन के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

7. **पाटनरोधी जांच का आरंभः** उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का कथित पाटन होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं ।

8. **जांच की अवधिः** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 (9 महीने) तक की है ।

9. **सूचना देनाः** संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, पाटनरोधी निदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है ।

10. **समय सीमाः** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

11. पाटनरोधी जांच, चूँकि एक समयबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए अगर निर्धारित समय के भीतर कोई जबाब नहीं मिलता या किसी भी तरह से सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार अपने पास रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं ।

12. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणः** नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

13. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2000

Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Ferro Silicon originating in or exported from Russia, China and Iran.

No. 28/1/2000-DGAD.—M/s Indian Metals and Ferro Alloys Ltd., Bhubaneshwar, M/s Nava Bharat Ferro Alloys Ltd.,Hyderabad and M/s VBC Ferro Alloys Ltd., Hyderabad, have filed a petition a before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Ferro Alloys originating in or exported from Russia, China and Iran and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. Product Involved: The product under investigation in the present case is Ferro Silicon originating in or exported from Russia, China and Iran. Ferro Silicon is an alloy of iron and silicon containing calcium, aluminium, carbon etc., as impurities. Silicon constitutes the major proportion in Ferro Silicon. It is primarily used as a deoxidiser in the production of steel and alloy steels.

Ferro Silicon is classified under Customs sub-heading no. 7202.21 and 7202.2100 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

2. **Domestic Industry Standing:** The petitioner has stated that the following companies are the producers of Ferro Silicon in India:-

(a) M/s Indian Metals and Ferro Alloys Ltd.,
(b) M/s Nava Bharat Ferro Alloys Ltd.,
(c) M/s VBC Ferro Alloys Ltd.,
(d) M/s Alok Ferro Alloys Ltd.,
(e) M/s Nav Chrome Ltd.,
(f) M/s Ispat Alloys Ltd.,
(g) M/s GMR Vasavi Industries;
(h) M/s Indsil Electrosmelts Ltd.,
(i) The Silcal Metallurgic Ltd.,
(j) The Travancore Electro Chem;

(k) Sandur Manganese and Iron Ores;
(l) Visvesvarya Iron & Steel Co.Ltd.,
(m)Universal Ferro Alloys Chem.

M/s Indian Metals and Ferro Alloys Ltd., Bhubaneshwar, M/s Nava Bharat Ferro Alloys Ltd., Hyderabad, and M/s VBC Ferro Alloys Ltd., Hyderabad, have jointly filed the petition and are hereinafter referred to as petitioners. M/s Indsil Electrosmelts Ltd., Coimbatore has supported the petition. The petitioners account for 63% of the total domestic production and therefore satisfy the standing to file the present petition.

3. **Country(ies) Involved:** The countries involved in the present investigations are Russia, the Peoples Republic of China and Iran (referred to as subject countries hereinafter).

4. **Like Goods:** The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from Russia, China and Iran. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

5. **Dumping and Dumping Margin:**

Normal Value: The petitioners have claimed normal value in Russia,China and Iran on the basis of constructed cost of production of Ferro Silicon.

Export price: The petitioners have claimed export price based on the data published by secondary sources. Considering the normal value and export prices the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limit.

There is sufficient evidence that the normal values of the product under consideration in Russia, China and Iran are significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by the exporters from Russia, China and Iran.

6. **Injury and Causal Link:** The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicates that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient prima facie evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

7. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

8. **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 1999 to 31st December, 1999 (9months).

9. **Submission of Information:** The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate of Anti- Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi –110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.

12. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054